हिमाचल प्रदेश सरकार

# वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट

# 2021-22

(01-04-2021 से 31-03-2022 तक)

## वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

# वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

## वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2021–22

**परिचय**

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक ओर जहां वनों से प्रत्यक्ष रूप में हमें निरन्तर ईमारती लकड़ी, ईंधन, बरोज़ा, बांस, भब्बर घास, चारा तथा वन औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं वहीं दूसरी ओर प्रदूषण रहित वातावरण और प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रदेश के कुल 37948 वर्ग कि0मी0 अधिसूचित वन क्षेत्र में 1883 वर्ग कि0मी0 आरक्षित वन, 12852 वर्ग कि0मी0 सीमांकित सुरक्षित वन, 16035 वर्ग कि0मी0 असीमांकित सुरक्षित वन तथा 7178 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में अवर्गीकृत, शामलात, कोओपरेटीव फौरैस्टस सोसाईटीज़, चरागाह बिला दरक्खतान, स्ट्रीपस फौरैस्टस आदि अन्य वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रकाशित ''भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021'' के अनुसार सैटेलाईट आंकलन के आधार पर प्रदेश का कुल वनावरण 15443 वर्ग कि0मी0 है जिसमें अत्यन्त सघन वन 3163 वर्ग कि0मी0, सामान्य सघन वन 7100 वर्ग कि0मी0 तथा खुले वन 5180 वर्ग कि0मी0 हैं।

विभिन्न वानिकी परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि वृक्षों से ढकी जा सके। कुल अधिसूचित वन क्षेत्र में 16376 वर्ग कि0मी0 पर्वतीय चरागाहों, चट्टानों और बर्फीली पहाड़ियों के अन्तर्गत अनुमानित है, जिसका प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि प्रदेश की 25 से 30 प्रतिशत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन चरागाहों पर आश्रित पशुओं पर निर्भर करती है।

**2. वर्ष के दौरान वनों तथा वन्य प्राणी संरक्षण के अतिरिक्त जिन विषयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया उनमें निम्नलिखित विषय मुख्य हैं :-**

(क) पौधारोपित क्षेत्रों का निरीक्षण सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए अनिवार्य है जिसमें वनराजिक, सहायक अरण्यपाल, वन मण्डलाधिकारी तथा अरण्यपालों/मुख्य अरण्यपालों के लिए निरीक्षण प्रतिशत् निर्धारित है ताकि वृक्षारोपण की सफलता का आंकलन करके विफलताओं का विश्लेषण करके उचित कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है जिसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। वन मण्डलाधिकारियों तथा अरण्यपालों से पौधारोपण निरीक्षण की रिपोर्ट निश्चित समय पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) को भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभाग में एक मोनिटरिंग व इवैल्यूवेशन विंग, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल के अधीन कार्य कर रहा है जो द्वितीय व तृतीय स्तर पर पौधों की जीवित प्रतिशत्ता की निगरानी तथा आंकलन करता है और कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपचारात्मक सुझाव देता है।

(ख) सुरक्षित व सीमांकित वन जिनका राजस्व रिकार्ड में उल्लेख नहीं है, का सर्वेक्षण, बन्दोबस्त व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसमें किन्नौर, सिरमौर, सोलन व शिमला जिले शामिल हैं। इस कार्य की देख-रेख मुख्य अरण्यपाल (कार्ययोजना व बन्दोबस्त) द्वारा की जा रही है।

(ग) विभिन्न विकास पैटर्नों, पेड़ों की अरोग्यता तथा लोगों की जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए वनों के उत्थान के लिए उपचार, प्रबन्धन और जंगलों पर जैविक दबाव से संरक्षण हेतु कार्ययोजनायें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रदेश के वनों को 37 कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत लिया गया है। इन कार्ययोजनाओं को बनाने तथा अवधि समाप्त होने पर पुनः संशोधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मार्च, 2022 तक 23 कार्य योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। 2 कार्ययोजनाओं को बनाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है। 12 कार्ययोजनाओं की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है और उनके संशोधन पर कार्य किया जा रहा है।

(घ) वनों के संरक्षण को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने हेतु जिससे उनको आग, अवैध कटान, चोरी आदि से नुकसान न हो इसके लिए विभाग ने दो वन मण्डल (उड़न-दस्ते) शिमला व धर्मशाला में खोल रखे हैं जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए विभाग ने कई पग उठाए हैं। तकनीकी अवरोधों को दूर करने तथा तुरन्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से वन मण्डलाधिकारियों को कलैक्टर की शक्तियाँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमिसिज़ तथा लैण्ड इविक्शन एण्ड रैन्ट रिक्वरी एक्ट 1971, के तहत दी गई है। लकड़ी की चोरी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन मण्डलाधिकारियों और अरण्यपालों को चोरी या अवैध व्यापार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों को जब्त करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

(ङ) वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वानिकी तथा अन्य विषयों के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हि0प्र0 वन अकादमी, सुन्दरनगर व वन प्रशिक्षण संस्थान, चायल में दीर्घ एवम् लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान इन दोनों प्रशिक्षण संस्थानों में 125 वन राजिकों को अठारह माह का, 128 वन रक्षकों को छः माह का तथा 13 उप वन राजिकों व 46 वन रक्षकों को तीन माह का नियमित प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2 भारतीय वन सेवा अधिकारियों, 8 राज्य वन सेवा अधिकारियों, 1 प्रोजैक्ट डायरैक्टर, 18 वन राजिकों, 44 उप वन राजिकों, 137 वन रक्षकों, 8 अधीक्षकों,

29 वरिष्ठ सहायकों, 111 कनिष्ठ सहायकों/लिपिकों/जे0ओ0ए0(आई.टी.)/कम्पयूटर ऑपरेटर्ज़ तथा 181 अन्य कर्मचारियों को एक से पंद्रह दिन तक के विभिन्न लघु कोर्सों का प्रशिक्षण भी दिया गया।

**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाऐं :**

- **हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के0 एफ0 डब्ल्यू0):**

हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के0एफ0डब्ल्यू0 बैंक), जर्मनी के सहयोग से 7 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2015-16 से प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 308.45 करोड़ रूपये की है जिसे जर्मन सरकार के 85.10 प्रतिशत् ऋण, 11.10 प्रतिशत् राज्य सरकार व 3.80 प्रतिशत् लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, जैव विविधता बढ़ाने, वन संसाधनों के स्थाई प्रबंधन और वन आधारित उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ाना है जिससे ऐसे समुदायों को लाभ मिल सके जो वनों पर निर्भर हैं तथा ग्रामीण लोगों की आजीविका में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त यह परियोजना जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की सुरक्षा, जलग्रहण क्षेत्र के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर आजीविका के साधन पैदा करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस परियोजना पर 45.74 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

- **हिमाचल प्रदेश फौरेस्ट ईकोसिस्टमस मैनेज़मैंट एण्ड लाईवलिहुड इम्प्रूवमैंट प्रोजैक्टः**

जापान इंटरनैशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के साथ 800.00 करोड़ रूपये की यह परियोजना **"हिमाचल प्रदेश फौरेस्ट ईकोसिस्टमस मैनेज़मैंट एण्ड**

**लाईवलिहुड इम्प्रूवमैंट प्रोजैक्ट"** 8 वर्ष की अवधि के लिए (2018–19 से 2025–26) शुरु की गई थी जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए (2018–19 से 2028–29) तक कर दी गई है जिसे जापान सरकार के 80 प्रतिशत् ऋण व 20 प्रतिशत् राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह परियोजना प्रदेश के छः जिलों बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, किन्नौर व लाहौल-स्पीति में कार्यान्वित की जा रहीं हैं। इस परियोजना का मुख्यालय समरहिल, शिमला और दो क्षेत्रीय कार्यालय जिसमें अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, कुल्लू और सामुदायिक एवं संस्था क्षमता उत्थान इकाई, रामपुर में स्थित हैं। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के परियोजना क्षेत्रों में वनों व पारिस्थितिकी तन्त्रों का प्रबन्धन एवं संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार, जल संसाधन संरक्षण, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, स्थानीय संस्थाओं का सशक्तीकरण कर व उनकी क्षमता बढ़ाकर पर्यावरण को सुरक्षित करना ताकि पर्यावरण सेवाएं निरन्तर मिलती रहें जिससे प्रदेश के लोगों का स्थाई, सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके।

वर्ष 2021-22 के दौरान इस परियोजना के तहत 45.20 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

- **इन्टीग्रेटिड डिवैल्पमेंट प्रोजैक्ट फॉर सोर्स सस्टेंनेबिलिटी एण्ड क्लाईमेट रैसिलिएन्ट रेनफैड एग्रीकल्चरः**

विश्व बैंक द्वारा पोषित **सोर्स सस्टेंनेबिलिटी एण्ड क्लाईमेट रैसिलिएन्ट रेनफैड एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट** की कुल लागत 700.00 करोड़ रूपये है। जिसे विश्व बैंक के 80 प्रतिशत् ऋण व 20 प्रतिशत् राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह परियोजना 5 वर्ष के लिए 2020–21 से 2024–25 तक प्रदेश के 10 जिलों (किन्नौर व लाहौल-स्पीति को छोड़कर) की 428 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाएगी जो शिवालिक और मध्य पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न जलागमों के कृषि-जलवायु क्षेत्र में फैले हैं। इस

परियोजना का उद्देश्य वन भूमि में प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार करना जिससे किसानों की उत्पादकता व अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सके।

यह परियोजना वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुणा करने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2 लाख हेक्टेयर गैर-कृषि भूमि और 20 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि के व्यापक उपचार के साथ-साथ जल उत्पादकता, दूध उत्पादन में वृद्धि और स्थानीय लोगों की आजिविका में सुधार के कार्य शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान इस परियोजना के लिए 77.20 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

## 3. वित्तीय परिणाम

हिमाचल प्रदेश में शंकुधर वनों का उत्पादन चौड़ी पत्ती के वनों से अधिक है, परन्तु यह आवश्यक आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है। मांग की आपूर्ति के लिए लम्बी अवधि की योजनाएं प्रदेश में वन प्रजातियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। पिछले पांच वर्षों में वनों पर व्यय से सम्बन्धित आंकड़े निम्न हैं :-

**(रूपये लाखों में)**

| वर्ष | राजस्व | व्यय |
|---|---|---|
| 2017-18 | 4687.15 | 43370.05 |
| 2018-19 | 7631.59 | 48044.18 |
| 2019-20 | 8360.66 | 51593.71 |
| 2020-21 | 4955.54 | 74797.94 |
| 2021-22 | 10616.78 | 75456.30 |

नोट :-व्यय के आंकड़ों को वन तथा भू-संरक्षण मदों को मिला कर दर्शाया गया है जिसमें राज्य और केन्द्रीय सैक्टर के प्रोग्राम शामिल हैं।

## 4. राजस्व

वर्ष 2021-22 में वनों से 10616.78 लाख रूपये का राजस्व अर्जित हुआ है जिसका स्त्रोत सहित तीन वर्षों का ब्योरा निम्न प्रकार से हैः-

**(रूपये लाखों में)**

| मेजर हैड 0406 - वन राजस्व | 2019-20 (वास्तविक) | 2020-21 (वास्तविक) | 2021-22 (वास्तविक) |
|---|---|---|---|
| 1. सरकारी एजेंसियों द्वारा जंगलों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज़ | 1350.97 | 566.80 | 25.75 |
| 2. हिमाचल प्रदेश वन निगम सहित उपभोक्ताओं व खरीदारों द्वारा वनों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज | 5203.33 | 2408.67 | 7028.85 |
| 3. प्रवाहित तथा बिखरी पड़ी लकड़ी (ड्रिफ्ट एण्ड वेफवुड) | 0.00 | 0.63 | 34.22 |
| **जोड़** | **6554.30** | **2976.10** | **7088.82** |
| 4. अन्य आय | | | |
| i) वन्य प्राणी संरक्षण एवं पर्यावरण | 11.19 | 21.80 | 0.19 |
| ii) अन्य गौण साधनों से आय | 1795.17 | 1957.64 | 3527.77 |
| **जोड़** | **1806.36** | **1979.44** | **3527.96** |
| **कुल राजस्व** | **8360.66** | **4955.54** | **101616.78** |

## 5. बजट

सामान्य तथा विकास सम्बन्धी कार्य बजट के अन्तर्गत किए जाते हैं। इन कार्यों पर वर्ष 2021-22 में 75456.30 लाख रूपये व्यय किये गए जबकि वर्ष 2020-21 में यह व्यय 74797.94 लाख रूपये था।

## 6. पौधारोपण कार्यक्रमः

वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अर्न्तगत 13613.24 हेक्टेयर क्षेत्र में 110.53 लाख पौधे लगाए गये जिसका जिलावार ब्योरा निम्नलिखित है :-

| क्र0 सं0 | जिला | पौधारोपित क्षेत्र (हे0) | पौधे (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बिलासपुर | 685.64 | 4.06 |
| 2 | चम्बा | 2697.07 | 26.36 |
| 3 | कांगड़ा | 3200.10 | 20.58 |
| 4 | कुल्लू | 1733.29 | 17.38 |
| 5 | मण्डी | 1208.00 | 10.12 |
| 6 | सिरमौर | 732.49 | 4.51 |
| 7 | सोलन | 880.45 | 7.81 |
| 8 | शिमला | 1101.20 | 9.51 |
| 9 | हमीरपुर | 617.00 | 3.13 |
| 10 | लाहौल-स्पीति | 143.50 | 1.44 |
| 11 | किन्नौर | 327.50 | 3.56 |
| 12 | ऊना | 287.00 | 2.07 |
| | **कुल** | **13613.24** | **110.53** |

वर्ष के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत किए गये योजनावार पौधारोपण की भौतिक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नलिखित है :-

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | उपलब्धियां 31-03-2022<br>भौतिक<br>(हे0) |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन | 880.69 |
| 2 | चरागाह विकास | 341.50 |
| 3 | वृक्षावरण सुधार | 4604.50 |
| 4 | हि0प्र0 फौरेस्ट इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट | 1925.63 |
| 5 | सामुदायिक वन संवर्धन योजना | 101.00 |
| 6 | विद्यार्थी वन मित्र योजना | 11.00 |
| 7 | वन समृद्धि जन समृद्धि | 25.00 |
| 8 | एक्सपैरिमेंटल सिल्वीकल्चर प्रोग्राम | 333.43 |
| 9 | इन्टिग्रेटिड डवैल्पमेंट प्रोजैक्ट फॉर सोर्स सस्टेंनेबिलिटी एण्ड क्लाईमेट रेसिलिएन्ट रेनफैड एग्रीकल्चर | 2771.00 |
| 10 | एग्रोफॉरेस्ट अण्डर नैशनल मिशन फॉर सस्टेंनेबल एग्रीकल्चर (LDP) | 2.00 |
| 11 | पलांटेशन रेजड इन लियु ऑफ फॉरफियटड स्क्युरिटीज ऑफ प्राईवेट कन्ट्रैक्टर्ज | 20.00 |
| 12 | स्वर्णिम वाटिका | 15.00 |
| 13 | एन.जी.टी/हिल टॉप टैम्पल | 15.00 |
| 14 | नैशनल बैम्बू मिशन | 5.00 |
| 15 | असिस्टैंस फॉर डवैल्पमेंट ऑफ नैशनल पार्कस एण्ड वाईल्ड लाईफ सेंचुरीज़ (रीनेमड एज़ इन्टिग्रेटिड डवैल्पमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ | 12.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | हैबिटेटस) | |
| 16 | एच0पी0 इको सिस्टम फौरेस्ट मनेज़मेंट एण्ड लाईवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्राजैक्ट | 92.00 |
| 17 | भवनों के तहत पौधारोपण | 38.00 |
| 18 | कैम्पाः | |
| | क) प्रतिपूरक पौधारोपण | 936.18 |
| | ख) एन0पी0वी0 | 782.00 |
| | ग) कैट प्लान | 355.15 |
| | **जोड़** | **13266.08** |

## 7. प्रशासनिक इकाईयां तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (31-03-2022) :

| इकाई | क्षेत्रीय व वन्य प्राणी | कार्यकारी | कुल |
|---|---|---|---|
| वृत | 13 | 12 | 25 |
| मण्डल | 44 | 16 | 60 |
| परिक्षेत्र | 198 | 24 | 222 |
| ब्लॉक | 576 | 0 | 576 |
| बीट | 2061 | 0 | 2061 |

**अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्याः**

| पद/श्रेणी | स्वीकृत | स्थिति में |
|---|---|---|
| **राजपत्रित -I:** | | |
| भारतीय वन सेवा अधिकारी | 114 | 70 |
| राज्य वन सेवा अधिकारी | 160 | 96 |
| पशु चिकित्सक | 1 | 1 |
| जिला अटार्नी | 1 | 1 |
| उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) | 1 | 1 |
| पंजीयक | 3 | 3 |
| अधीक्षक ग्रेड-I | 23 | 22 |
| निजी सचिव | 2 | 2 |
| अधिशासी अभियन्ता | 2 | 1 |
| सहायक अभियन्ता | 13 | 6 |
| तहसीलदार | 2 | 0 |
| **जोड़** | **322** | **203** |
| **राजपत्रित -II:** | | |
| वन-राजिक | 296 | 214 |
| अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) | 2 | 2 |
| वन मानचित्र अधिकारी | 1 | 1 |
| वन साँख्यिकीविद् | 1 | 1 |
| **जोड़** | **300** | **218** |
| **तृतीय श्रेणी :** | | |
| उप-वनराजिक | 801 | 513 |
| वन रक्षक | 2581 | 2232 |
| अधीक्षक ग्रेड-II | 127 | 127 |
| नायब तहसीलदार | 8 | 4 |
| वरिष्ठ सहायक | 216 | 78 |
| कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ लिपिक/लिपिक | 175 | 129 |
| जे0ओ0ए0 (आई0टी0) | 270 | 140 |
| निजी सहायक | 9 | 7 |
| सीनियर स्केल स्टैनोफर | 19 | 0 |
| स्टैनो टाइपिस्ट | 13 | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| तकनीकी सहायक | 1 | 1 |
| सांख्यिकीय सहायक | 3 | 1 |
| कनिष्ठ अभियन्ता | 17 | 5 |
| मुख्य प्रारूपकार | 8 | 8 |
| कनिष्ठ प्रारूपकार | 11 | 2 |
| प्रारूपकार | 9 | 7 |
| कानूनगो | 25 | 4 |
| पटवारी | 16 | 6 |
| वैटनरी फार्मासिस्ट | 8 | 3 |
| इलैक्ट्रीशियन | 6 | 2 |
| कारपेंटर | 6 | 2 |
| ड्राईवर | 107 | 57 |
| कंडक्टर | 3 | 1 |
| ऑप्रेटर/मकैनिक | 1 | 0 |
| पी0टी0आई0 | 1 | 0 |
| फोटोग्राफर-कम-आर्टिस्ट | 1 | 0 |
| सीनियर ऑडिटर | 1 | 0 |
| सीनियर लैब टैक्निशियन | 1 | 0 |
| सीनियर फोटोग्राफर | 1 | 1 |
| जुनियर ट्रांसलेटर | 1 | 0 |
| गैस्टनर ऑप्रेटर | 1 | 1 |
| **जोड़** | **4447** | **3343** |
| **चतुर्थ श्रेणीः** | | |
| रैस्टोरर | 1 | 1 |
| पशु परिचर | 26 | 22 |
| बेलदार | 6 | 4 |
| बोटमैन | 2 | 2 |
| दफत्तरी | 10 | 4 |
| गेटकीपर | 4 | 3 |
| जमादार पियन | 30 | 28 |
| डाक रनर | 21 | 13 |
| माली | 280 | 267 |
| चौकीदार | 465 | 441 |

| | | |
|---|---|---|
| पियन | 582 | 567 |
| मल्टी पर्पज वर्कर | 158 | 141 |
| माली-कम-नर्सरी वर्कर | 87 | 87 |
| माली-कम-पलांटेशन वर्कर | 61 | 61 |
| चौकीदार-कम-कुक | 54 | 54 |
| खलासी | 2 | 1 |
| स्वीपर | 18 | 18 |
| पलम्बर | 8 | 4 |
| म्यूलमैन/साईस | 19 | 7 |
| कैमल कार्ट ड्राईवर | 1 | 1 |
| डंडीदार | 1 | 1 |
| डिपो वाचर | 1 | 1 |
| डिस्ट्रीब्यूटर | 1 | 1 |
| एनक्लोज़र क्लीनर | 7 | 3 |
| मैसन | 2 | 1 |
| पार्क क्लीनर | 1 | 1 |
| स्वीपर-कम-चौकीदार | 1 | 4 |
| तारू | 2 | 2 |
| टिम्बर वाचर | 2 | 2 |
| ट्रक क्लीनर | 4 | 0 |
| फौरैस्ट वर्कर | 1085 | 1085 |
| **जोड़** | **2942** | **2827** |
| **कुल जोड़** | **8011** | **6591** |

## 8. अधिकतम तथा लगातार उत्पादन के लिए क्षेत्र का प्रबन्धन

हाल के वर्षों में वनों का प्रबन्धन अधिक उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त तथा भूमि कटाव की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। अधिकांश वन क्षेत्रों का प्रबन्धन नियमित कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

## 9. वन निगम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन निगम की स्थापना 1 अप्रैल, 1974 को वनों से प्राप्त की जाने वाली वनोपज के निष्कासन हेतु की गई थी। वर्ष 2021–22 का विवरण निम्न प्रकार से है :-

### (क) बिरोजा

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा विभागीय बिरोजा निस्सारण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में 14,31,823 बिरोजा के टक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को निस्सारण हेतु सौंपे गये थे उनमें से 14,05,728 टकों से 60803 क्विंटल बिरोजा निकाला गया। उपरोक्त सरकारी टकों के अतिरिक्त दूसरे निजी क्षेत्रों का बिरोजा भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम खरीदती है। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश बिरोजा एवं बिरोजा उत्पाद (व्यापार विनियम) अधिनियम 1981, के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों से निकाला गया बिरोजा भी राज्य वन निगम द्वारा खरीदा गया क्योंकि किसी भी निजी मालिक को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को इसे बेचने की अनुमति नहीं दी जाती।

### (ख) ईमारती लकड़ी

प्रदेश में सरकारी वनों से लकड़ी के निष्कासन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 में निगम द्वारा 1,22,794 घन मीटर लकड़ी का निस्सारण किया गया। इसके अतिरिक्त 31,550 घनमीटर लकड़ी बर्तनदारों को बर्तनदारी दर पर प्रदान की गई।

## 10. वानिकी अनुसंधान

वर्ष के दौरान डॉ0 वाई0 एस0 परमार, उद्यान एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को वानिकी अनुसंधान हेतु जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 57.20 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया था जिसका भुगतान मार्च, 2022 तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभाग में एक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण इकाई भी कार्य कर रही है। इसका मुख्य कार्य बीज प्रमाणिकता, बीज एकत्रीकरण तथा उसका भण्डारण, नर्सरी प्रयोग, पौधारोपण प्रयोग तथा वर्धन एवं उपज अध्ययन् पर शोध कार्य करना है। इसके अन्तर्गत अनुसंधान के लिए वार्षिक लक्ष्य 18.10 लाख रूपये रखा गया था जिसे मार्च, 2022 तक व्यय कर लिया गया।

## 11. वन्य प्राणी संरक्षण

हिमाचल प्रदेश में योजना बजट के तहत वन्य प्राणी संरक्षण की निम्न योजनाएं कार्यान्वित हैं :-

1. वन्य प्राणी परिरक्षण
2. वन्य प्राणी शरण्यों का सुधार व विकास
3. हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का विकास
4. एच0पी0जैड0सी0बी0एस0 को अनुदान
5. जूलॉजिकल पार्क के तहत भवन
6. वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध
7. पिन वैली नैशनल पार्क का विकास
8. असिसटैंस फॉर डिवैल्पमैंट ऑफ नैशनल पार्कस एण्ड वाईल्ड लाईफ सैंचुरीज (रीनेमड एज़ इन्टिग्रेटिड डिवैल्पमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटेटस)
9. वन्य प्राणी (राज्य योजना)

उपरोक्त योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सैक्टर के तहत 2367.66 लाख रूपये तथा केन्द्रीय सैक्टर के तहत 217.83 लाख रूपये खर्च किये गये। विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट-(क) में उपलब्ध है।

## 12. प्रचार योजना

विभाग में किए जा रहे कार्यक्रमों के महत्व को विस्तारपूर्वक प्रचार वन मण्डल, शिमला द्वारा प्रचारित किया जाता है। प्रदेश के लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापन-गीतों, दृश्यों एवं श्रवण, इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों, प्रकाशित सामग्री तथा दूरदर्शन द्वारा वनों और उनके महत्व की जानकारी दी जाती है। इन गतिविधियों पर वर्ष 2021-22 के दौरान 21.50 लाख रूपये की धन राशि खर्च की गई।

## 13. हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा

हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, प्राकृतिक वनों के वन संसाधनों का प्रबन्धन व संरक्षण, वन्य प्राणी प्रबन्धन, क्षेत्र में ढांचागत विकास और सम्बन्धित कार्यों की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए दिनांक 3 अगस्त, 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार के आदेशानुसार की गई है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन राज्य कैम्पा के स्थान पर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0एफ0(2)8/2017(I) दिनांक 04 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 व प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार हि0प्र0 राज्य प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (SCAF) में प्रबन्धन और इसके उपयोग के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2019 में, राष्ट्रीय प्राधिकरण, द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कैम्पा फंड के हिस्से के 1660.72 करोड़ रूपये को प्रदेश सरकार के Public account में स्थानांतरण कर दिया था।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्राधिकरण में सीएएफ अधिनियम, 2016 के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित निकाय शामिल हैंः-

**क. शासी निकाय**ः [ अध्यक्षः मुख्य मन्त्री और सदस्य सचिवः प्रधान सचिव (वन), हि0प्र0 सरकार ]

**ख. संचालन समिति** : [ अध्यक्षः मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार और सदस्य सचिव : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हि0प्र0 राज्य प्राधिकरण ]

**ग. कार्यकारी समिति**ः [ अध्यक्ष : प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एच0ओ0एफ0एफ0), हिमाचल प्रदेश और सदस्य सचिव : मुख्य कार्यकारी अधिकारी हि0प्र0 राज्य प्राधिकरण ]

हिमाचल प्रदेश राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 138.10 करोड़ रूपये के APO को मंजूरी दी गई जिसमें से 94.78 करोड़ रूपये खर्च किए गए। जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

**वर्ष 2021-22 का सैक्टर वाईज़ खर्चा :-**

| Sr. No. | Name of Sector | APO Approved (Rs. in Crore) | Expenditure (Rs. in Crore) |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) | 17.00 | 16.34 |
| 2. | जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT Plan) | 25.00 | 15.37 |
| 3. | शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) | 77.29 | 50.18 |
| 4. | वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना (Wildlife Management Plan) | 16.80 | 12.10 |
| 5. | ब्याज (Interest) | 2.00 | 0.78 |
| 6. | अन्य (Other) | 0.01 | 0.01 |
| **जोड़** | | **138.10** | **94.78** |

## 14. वनों की आग से सुरक्षा :

वर्ष 2018 में वन विभाग ने पहली बार संवेदनशील क्षे़त्रों में दो प्रचार वाहनों का प्रयोग करके नुक्कड़ नाटकों, गीतों, प्रतियोगिताओं और भाषणों के माध्यम से जंगलों को आग से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया। वनों को आग से बचाने के लिए 80 संवेदनशील वन परिक्षेत्रों में एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें प्रत्येक कार्यशाला में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग ने फायर लाईनों के निर्माण, आग पर नियन्त्रण (Control Burning) जल भण्डारण संरचनाओं के निर्माण व मरम्मत आदि कार्य क्रियान्वित किये गये। इसके अतिरिक्त “Indian Forest Survey, Setellite की Alert SMS Service” के आधार पर एक विशाल अभियान के माध्यम से 11000 से अधिक लागों की एक “Rapid Forest Fire Fighting Force (R4 F)” का गठन किया गया ताकि SMS के माध्यम से आग

लगने की सूचना प्राप्त करके आग को तुरन्त बुझाया जा सके। नुकीली पत्ती वाले वनो में इनकी सूखी पत्तियां आग लगने का मुख्य कारण बनती हैं जिसके लिए 2018 में इन पत्तियों को इकट्ठा करने व हटाने के लिए एक नई नीति बनाई गई जिसके अन्तर्गत 50% अनुदान (अधिकतम 25 लाख रू0) देकर पाईन की पत्तियों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अब तक सरकार द्वारा ऐसे 38 उद्योगों को स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें 5 उद्योगों ने इस दिशा में कार्य करना भी शुरु कर दिया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में जान बूझकर जंगल में आग लगाने पर छः महीने की कैद व 500 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 के दौरान आग की 1275 घटनाओं में 9874 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिससे लगभग 261.16 लाख रूपये का अनुमानित नुक्सान हुआ है। वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'फौरेस्ट फायर प्रीवैंशन व मैनेज़मैन्ट' के अन्तर्गत 118.72 लाख रूपये वनों को आग से बचाने के लिए खर्च किये गये।

## 15. ईको-टूरिज्म :

हिमाचल प्रदेश देश के पर्यटन मानचित्र में एक प्रमुख राज्य है तथा यहां लाखों पर्यटक प्रति वर्ष राज्य की प्राकृतिक सुन्दरता का अनुभव / आनन्द उठाते हैं। अधिकतर पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियां प्रदेश के मुख्यतः चार पहाड़ी स्थलों जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला तथा डलहौजी में ही केन्द्रित रहती हैं। अधिकतर पर्यटकों को गांवों व घने जंगलों में जाने का मौका नहीं मिल पाता है जो कि वास्तव में पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य / स्वर्ग के समान है।

इस दृष्टिकोण से, वर्ष 2001 में वन विभाग ने पर्यटन से सम्बन्धित नीति तैयार की थी जिसे तत्पश्चात् वर्ष 2005, 2016 व 2017 में संशोधित किया गया। इस नीति के अन्तर्गत ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है ताकि वे अपनी सम्पति

की बढ़ोतरी कर सके और साथ ही आजीविका के साधन भी जुटा सके। ईको-टूरिज्म नीति 2005 के तहत HPECOSOC का गठन किया गया है जो हिमाचल में ईको-टूरिज्म गतिविधियों का प्रचार करेगी। हिमाचल प्रदेश पर्यावरणीय पर्यटन संस्था द्वारा प्रदेश में 10 कैम्पिंग साईटों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अन्तर्गत पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए किराए पर दिया गया था जिसमें से केवल 5 कैम्पिंग साईटें ही क्रियाशील थीं। एफ0सी0ए0 अधिनियम 1980 के तहत इन कैम्पिंग साईटों को एफ0सी0ए0 से मंजूरी न मिलने पर दिनांक 09-09-2020 से इनके संचालन पर रोक लगा दी गई है। वर्ष 2021-22 में कैंम्पिग साईट चेवा 3.75 लाख रूपये लीज राशि के रूप में प्राप्त हुए।

वृत्त स्तर की 10 ईको-टूरिज्म सोसाईटीज़ गठित की गई हैं जोकि सम्बन्धित अरण्यपाल की अध्यक्षता में बनाई गई है तथा पर्यटन एवं वन विभाग, जिला प्रशासन व स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान वृत्त स्तर पर की गई ईको-टूरिज्म गतिविधियों से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत् भाग एच0पी0 ईकोसॉक को प्राप्त हुआ है जिसका वृत्तवार ब्योरा निम्नलिखित है :-

ईको-टूरिज्म सोसाईटी नाहन, मण्डी व शिमला कुल धन राशि (रुपये में) :-

| **क्र0 सं0** | **वृत्त का नाम** | **राशि (रुपये में)** |
|---|---|---|
| 1. | नाहन | 4560 |
| 2. | मंडी | 127033 |
| 3. | शिमला | 326208 |
| **कुल** | | **457801** |

इसके अतिरिक्त प्रदेश में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य भर के लिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए वित्तीय

सहायता पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जा रही है। मास्टर प्लान के कार्य को एक निजी संस्थान M/s Ernst & Young LLP & Responsible Tourism Society of India, New Delhi को दिया गया है तथा इसका अधिकतम कार्य संस्था द्वारा कर दिया गया है तथा जल्द ही इस प्लान को बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"वन और वन्यजीव क्षेत्रों में इको-टूरिज्म"** के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर मौजूदा पुनः संशोधित इको-टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसे ईको-टूरिज्म हितधारकों के साथ मिलकर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

एच0 पी0 ईकोसॉक ने हिमाचल प्रदेश में 9 हरित गाँवों और 50 शिविर स्थलों के लिए एक सामुदाय आधारित पारिस्थितिक पर्यटन परियोजना (CBET) 150.00 करोड़ रूपये की तैयार की है जिसे वित्त पोषण के लिए पर्यटन विभाग को भेजा गया है। जोत, चम्बा हिमाचल प्रदेश में इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर के ग्रीन विलेज के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए योग्य पेशेवर व्यक्तियों/फर्मों/संस्थानों/संगठनों/कंसोर्टियम से 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)' आमंत्रित किया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से एच0 पी0 ईकोसॉक का एक नया वेबसाइट पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसमें प्रदेश भर की ईको- टूरिज्म गतिविधियों को दर्शाया जाएगा व चयनित वन विश्राम गृहों की ऑनालाईन बुकिंग की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस हिमालयी राज्य में नए स्थलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नई पहल **'नई राहें नई मंजिलें'** योजना प्रारम्भ की है। शुरुआत के लिए, बीर-बिलिंग के गंतव्य - कांगड़ा में पैराग्लाइडर सर्किट पर विश्व स्तर

पर प्रसिद्ध स्थल, जंजैहली – मंडी जिले में एक छिपा हुआ ग्रामीण आकर्षण और अपने अल्पाइन घास के मैदानों के साथ चांशल जो शिमला पहाड़ियों में सर्दियों में प्राचीन स्की ढलानों में बदल जाते हैं, पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार कर विकसित किया जा रहा है। पहाड़ की घाटी में एक झील का आकर्षण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। निश्चित रूप से कांगड़ा में महाराणा प्रताप सागर बांध नए कार्यक्रम के तहत, आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए हाउस बोट आवास, शिकारा सवारी, कैम्पिंग और जल क्रीड़ा की गतिविधियों को जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2018–20 में, पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से 'नई राहें नई मंजिलें' योजना के अन्तर्गत ईको–टूरिज्म के मास्टर प्लान व छः वन मण्डलों में विभिन्न गतिविधियों के लिये निम्नलिखित धन राशि जारी की गई है जो गत वर्ष में निष्पादन की जा रही है :-

| **क्र0सं0** | **वन मंडल का नाम** | **योजना की कुल राशि (लाखों में)** |
|---|---|---|
| 1 | नाचन | 1818.27 |
| 2 | हमीरपुर (वन्य प्राणी) | 671.80 |
| 3 | रोहड़ू | 531.22 |
| 4 | पालमपुर | 231.57 |
| 5 | ईको टूरिज़्म का मास्टर प्लान | 70.00 |
| 6 | कुल्लू वन्य प्राणी | 60.01 |
| 7 | मंडी | 50.00 |
| **कुल** | | **3432.87** |

## 16. अन्य विकास योजनायें

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों व योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में निम्नलिखित वानिकी विकास योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं :-

1. वनों का सर्वेक्षण तथा सीमांकन।
2. वनों की सुरक्षा।
3. चरागाह विकास।
4. वृक्षावरण सुधार
5. कार्ययोजना संगठन।
6. शटल और बॉबिन फैक्टरी।
7. भवन निर्माण योजनाएं।
8. सड़कों तथा रास्तों की निर्माण योजनाएं।
9. भवनों तथा सड़कों/रास्तों की मरम्मत।
10. निर्देशन एवं प्रशासन
11. नर्सरियों की स्थापना/मरम्मत इत्यादि।

**17. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना**

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 (RTI Act-2005) के अनुच्छेद 4 (1)(बी) के अन्तर्गत 17 मदों में वांछित सूचना वन विभाग की वैबसाईट www.hpforest.gov.in पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा इस सूचना को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।

**18. योजना व्यय :**

वर्ष 2021-22 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2406-वन तथा 2402-भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न परिशिष्ट -'क' में दिया गया है।

परिशिष्ट – 'क'

# वर्ष 2021–22 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियाँ

## प्रांतीय योजनाएँ

## क. सामान्य योजनाः

### वानिकीः

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | स्थापना/कार्य/ भौतिक | वित्तीय (लाख रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | एन.आर.एम.टी.डी.एस. को सहायता अनुदान | | 153.44 |
| 2. | सम्पर्क मार्ग एवम् भवन | | |
| | (क) मार्ग निर्माण | | 147.04 |
| | (ख) भवन निर्माण | 6 हे0 | 862.28 |
| | (ग) भवन तथा मार्ग मरम्मत | | 1011.90 |
| 3. | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | | 0.56 |
| 4. | कार्ययोजना संगठन | | 19.97 |
| 5. | वन आग प्रबन्धन योजना | | 119.46 |
| 6. | पौधारोपण तथा नर्सरियों की मरम्मत | | 482.50 |
| 7. | ऐक्सपैरिमेंटल सिल्वीकल्चर फैलिंग | 203 हे0 | 329.33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | नैशनल मिशन फॉर ग्रीन इन्डिया | | 125.00 |
| 9. | 43-डिपार्टमेंटल स्टेट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम (डी.एस.एफ. पी.) | 3584 हे0 | 2654.98 |
| 10. | 44-कम्मुनिटी बेसड स्टेट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम (सी.बी. एस.एफ.पी.) | 186 हे0 | 479.96 |
| 11. | टिम्बर एण्ड अदर प्रोडयूस रिमूवड फ्रोम फॉरेस्ट बाई गवर्नमेंट एजेंसी | | 67.37 |
| 12. | टिम्बर एण्ड अदर प्रोडयूस रिमूवड फ्रोम फॉरेस्ट बाई कन्जयूमर एण्ड प्रचेज़र्स | | 7.35 |
| 13. | ड्रिफ्ट वुड एण्ड कन्फिसकेटड फ्रोम प्रोडयूस | | 2.50 |
| 14. | शटल एवम् बॉबिन फैक्टरी | | 23.00 |
| 15. | क्लैक्शन एण्ड रिमूवल ऑफ चील पाईन फ्रोम फॉरेस्ट एण्ड इन्वैस्टमेंट सबसिडी फॉर पाईन नीडल बेसड इन्डस्ट्रीज़ | | 8.73 |
| 16. | 2415-06-004-03 डवैल्पमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च स्कीम | | 18.10 |
| 17. | हि0 प्र0 फॉरेस्ट इको-सिस्टम कलाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट (के.एफ.डब्लयु) | 1704 हे0 | 4035.97 |
| 18. | एच0पी0 फॉरेस्ट इको-सिस्टम मनेजमैंट एण्ड लाईवलिहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजैक्ट (JICA) | 92 हे0 | 3136.00 |
| 19. | इन्टीग्रेटिड डवैल्पमेंट प्रोजैक्ट फॉर सोर्स सस्टेंनेबलिटी एण्ड क्लाईमेट रैसिलिएन्ट रेनफैड एग्रीकल्चर (IDP) | 2006 हे0 | 6346.84 |
| 20. | सबसिडायरी सिल्वीकल्चर ऑपरेशनस | | 189.25 |
| 21. | 2606-04 एफोर्सटेशन एण्ड इकोलॉजी डवैल्पमेंटः | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) | स्टेट कम्पनसेटरी एफोर्सटेशन | 936 हे0 | 1634.56 |
| ii) | कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान | 355 हे0 | 1536.70 |
| iii) | इन्टीग्रेटिड वाईल्ड लाईफ मनेजमेंट प्लान | | 1209.84 |
| iv) | नैट प्रजैन्ट वैल्यु ऑफ फॉरेस्ट लैण्ड | 782 हे0 | 5017.51 |
| v) | 103-05 ब्याज | | 78.13 |
| vi) | 103-06 अन्य | | 0.43 |
| **जोड़** | | | **29698.70** |

**<u>वन्य प्राणी</u>**ः

| **क्र0 सं0** | **योजना का नाम** | **स्थापना/कार्य/ भौतिक** | **वित्तीय (लाख रूपये)** |
|---|---|---|---|
| 1. | वन्य प्राणी परिरक्षण<br>4406-कैपिटल आउटले (वन्य प्राणी परिरक्षण) | | 1280.12<br>5.00 |
| 2. | अस्सिटैंस फॉर डिवैल्पमैंट ऑफ नैशनल पार्कस एण्ड वाईल्ड लाईफ सैंचुरीज | | 5.50 |
| 3. | हिमालयन जूलोजिकल पार्क व फीजैंट्रीज़ का विकास | | 349.50 |
| 4. | एच.पी.जैड.सी.बी.एस. को सहायता अनुदान | | 137.00 |
| 5. | जूलोजिकल पार्क के तहत भवन | | 10.00 |
| **योग** | | | **1787.12** |
| **कुल जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (सामान्य)** | | | **31485.82** |

## ख. जन जातीय योजनाः

### वानिकीः

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | स्थापना/कार्य/ भौतिक | वित्तीय (लाख रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | सम्पर्क मार्ग एवम् भवन | | |
| | (क) मार्ग निर्माण | | 387.54 |
| | (ख) भवन निर्माण | | 391.76 |
| | (ग) भवन तथा मार्ग मरम्मत | | 18.46 |
| 2. | पौधारोपण तथा नर्सरियों की मरम्मत | | 50.58 |
| 3. | रिजनरेशन ऑफ चिलगोज़ा पाईन | | 12.57 |
| 4. | एच0पी0 फॉरेस्ट इको-सिस्टम मनेजमैंट एण्ड लाईवलिहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजैक्ट (JICA) | | 250.00 |
| 5. | वन आग प्रबन्धन योजना | | 18.42 |
| 6. | 43-डिपार्टमेंटल स्टेट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम (डी.एस.एफ. पी.) | 256 हे0 | 459.81 |
| 7. | 44-कम्मुनिटी बेसड स्टेट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम (सी.बी. एस.एफ.पी.) | 20 हे0 | 133.27 |
| 8. | एक बूटा बेटी के नाम | | 0.90 |
| | **जोड़** | | **1723.31** |

**<u>वन्य प्राणी</u>ः**

| **क्र0 सं0** | **योजना का नाम** | **स्थापना/कार्य/ भौतिक** | **वित्तीय (लाख रूपये)** |
|---|---|---|---|
| 1. | वन्य प्राणी परिरक्षण | | 45.16 |
| 2. | वन्य प्राणी शरण्यों का सुधार व विकास | | 15.32 |
| 3. | वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध | | 1.00 |
| 4. | पिन वैली नेशनल पार्क का विकास | | 0.33 |
| 5. | वन्य प्राणी (राज्य योजना) | | 123.09 |
| 6. | हिमालयन जूलोजिकल पार्क व फीजैंट्रीज़ का विकास | | 44.75 |
| **जोड़** | | | **229.65** |

| | | |
|---|---|---|
| डॉ0 वाई0 एस0 परमार उद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (जनजातीय)/**योग** | | **57.20** |
| **कुल जोड़ जन जातीय (वानिकी, वन्य प्राणी तथा विश्व-विद्यालय अनुदान)** | | **2010.16** |

## ग. <u>अनुसूचित जातीय उप योजना</u>ः

**<u>वानिकी</u>ः**

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | स्थापना/कार्य/ भौतिक | वित्तीय (लाख रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | भवन निर्माण | 32 हे0 | 640.98 |
| 2. | एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम | | 11.00 |
| 3. | वन आग प्रबन्धन योजना | | 45.78 |
| 4. | पौधारोपण तथा नर्सरियों की मरम्मत (डी-32 पहले हो चुके पौधारोपण की मरम्मत) | | 134.06 |
| 5. | ऐक्सपैरिमेंटल सिल्वीकल्चर फैलिंग | 130 हे0 | 117.36 |
| 6. | सबसिडायरी सिल्वीकल्चर ऑपरेशनस | | 30.72 |
| 7. | 43-डिपार्टमेंटल स्टेट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम (डी.एस.एफ. पी.) | 1106 हे0 | 1030.12 |
| 8. | 44-कम्मुनिटी बेसड स्टेट फॉरेस्ट्री प्रोग्राम (सी.बी. एस.एफ.पी.) | | 85.17 |
| 9. | हि0 प्र0 फॉरैस्ट इको-सिस्टम कलाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट (के.एफ.डब्लयु) | 222 हे0 | 538.01 |
| 10. | एच0पी0 फॉरैस्ट इको-सिस्टम मनेजमैंट एण्ड लाईवलिहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजैक्ट (JICA) | | 1134.00 |
| 11. | इन्टीग्रेटिड डवैल्पमेंट प्रोजैक्ट फॉर सोर्स सस्टेंनेबलिटी एण्ड क्लाईमेट रैसिलिएन्ट रेनफैड एग्रीकल्चर (IDP) | 765 हे0 | 1372.71 |
| | **जोड़** | | **5139.91** |

**वन्य प्राणीः**

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | स्थापना/कार्य/ भौतिक | वित्तीय (लाख रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | अस्सिटैंस फॉर डिवैल्पमैंट ऑफ नैशनल पार्कस एण्ड वाईल्ड लाईफ सैंचुरीज | | 73.20 |
| 2. | हिमालयन जूलोजिकल पार्क व फीजैंट्रीज़ का विकास | | 37.69 |
| 3. | एच.पी.जैड.सी.बी.एस. को सहायता अनुदान | | 240.00 |
| | **योग** | | **350.89** |
| | **कुल जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (एस.सी.एस.पी.)** | | **5490.80** |

## घ. पिछड़ा क्षेत्र उप योजनाः

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | स्थापना/कार्य/ भौतिक | वित्तीय (लाख रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | पिछड़ा क्षेत्र उप योजना<br>2606-01-102-18 समाजिक वानिकी कार्यक्रम | | 521.81 |
| | **जोड़ पिछड़ा क्षेत्र उप योजना** | | **521.81** |

## ङ. भू-संरक्षण योजनाः

**क. सामान्यः**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवम् प्रदर्शन/**योग** | 351 हे0 | 968.89 |

**ख. अनुसूचित जातीय उप योजनाः**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवम् प्रदर्शन/**योग** | 321 हे0 | 729.67 |

**ग. जन जातीयः**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन /**योग** | 209 हे0 | 550.26 |
| **कुल जोड़ भू-संरक्षणः सामान्य, अनुसूचित जातीय तथा तथा जन जातीय** | | | **2248.82** |
| **कुल जोड़ प्रांतीय योजनाएंः-सामान्य, जन जातीय, अनुसूचित जातीय, पिछड़ा क्षेत्र व भू-संरक्षण** | | | **41757.41** |

## <u>केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं</u>

**क. सामान्यः**

**वानिकीः**

| **क्र0 सं0** | **योजना का नाम** | **स्थापना/कार्य/ भौतिक** | **वित्तीय (लाख रूपये)** |
|---|---|---|---|
| 1. | नैशनल मिशन फॉर ग्रीन इन्डिया | | 1124.00 |
| | **जोड़ वानिकी** | | **1124.00** |

**वन्य प्राणीः**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | असिसटैंस फॉर डिवैल्पमैंट ऑफ नैशनल पार्कस एण्ड वाईल्ड लाईफ सैंचुरीज | | 49.46 |
| **जोड़ वन्य प्राणी** | | | **49.46** |
| **जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (सामान्य)** | | | **1173.46** |

**ख. जन जातीयः**

**वन्य प्राणीः**

| **क्र0 सं0** | **योजना का नाम** | **स्थापना/कार्य/ भौतिक** | **वित्तीय (लाख रूपये)** |
|---|---|---|---|
| 1. | वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध | | 16.64 |
| 2. | पिन वैली नैशनल पार्क का विकास | | 2.99 |
| 3. | सिक्योर हिमालयाज़ | | 148.74 |
| | **जोड़ वन्य प्राणी** | | **168.37** |
| | **जोड़ जन जातीय** | | **168.37** |

**क. अनुसूचित जातीयः**

**वानिकीः**

| **क्र0 सं0** | **योजना का नाम** | **स्थापना/कार्य/ भौतिक** | **वित्तीय (लाख रूपये)** |
|---|---|---|---|
| 1. | एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम | | 103.00 |
| | **जोड़ वानिकी** | | **103.00** |
| | **जोड़ अनुसूचित जातीय** | | **103.00** |
| | **कुल जोड़ केन्द्रीय योजनाएंः- सामान्य, जन जातीय व अनुसूचित जातीय** | | **1444.83** |
| | **कुल जोड़ प्रांतीय तथा केन्द्रीय योजनाएं** | **13266 हे0** | **43202.24** |